कम्प्यूटर - परिपत्र संख्या - 1415117 दिनांक 22-01-2015

पत्र संख्या:: आई0टी0-NIC कम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर(2014-15)/ 817 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 22 जनवरी,2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/कारपोरेट सर्किल),
समस्त डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-754 /1415107 दिनांक 30-12-2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रस्तावित GST व्यवस्था के अन्तर्गत GSTIN जारी करने हेतु विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध व्यापारी फर्मों के PAN Numbers के अपडेशन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध PAN नम्बरों का NSDL के माध्यम से सत्यापन कराये जाने पर कई PAN नम्बर ऐसे पाये गये हैं जो NSDL के PAN डेटाबेस में भी उपलब्ध है परन्तु उनसे सम्बन्धित नाम में भिन्नता है। अत: इन पैन नम्बर के सत्यापन के लिए आवश्यक है कि करनिर्धारण अधिकारी के स्तर से इनका उचित सत्यापन कराया जाय तथा विभागीय डेटाबेस में इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण PAN को प्रस्तावित GST व्यवस्था में स्थानान्तरण के अनुरुप बनाया जाए।

NSDL द्वारा उपलब्ध कराये गये पैन नम्बरों की सूची प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी के लागिन पर व्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर में उपलब्ध करा दी गयी है। पैन नम्बर अपडेशन के लिए प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

1- करनिर्धारण अधिकारी द्वारा अपने यूजर ID तथा पासवर्ड से व्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर लागिन किया जायेगा। लागिन के पश्चात disposal link के अन्तर्गत उपलब्ध PAN updation के sub link पर उपलब्ध Eyeball Checking of NSDL PAN data के link पर click किया जायेगा।

2- इसके पश्चात ड्रापडाउन में से सम्बन्धित कार्यालय का चयन करके submit करने पर NSDL द्वारा उपलब्ध कराये गये PAN की सूची उपलब्ध हो जायेगी। जिन PAN नम्बर को verify करना है उनके सम्मुख उपलब्ध verify के link पर click करके सम्बन्धित रिमार्क को Remark field में अंकित किया जायेगा।इस प्रकार से वेरीफाई किये गये PAN नम्बर उक्त सूची से हटकर सही PAN नम्बर की सूची में उपलब्ध हो जाएंगे।

NSDL द्वारा उपलब्ध कराये गये PAN डेटा के सत्यापन का यह कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 15-02-2015 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

S. Tripathi

(साधना त्रिपाठी)
एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।